

मध्यप्रदेश विधान सभा

चुलाई-अगरकरा, 1997 सनात्र

विभिन्न विधायक सभाओं सुनार्ह

शुक्रवार, दिनांक 25 चुलाई, 1997 (त्रिवेदी 3, 1919)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रवनोत्तर

पृष्ठकर्ता: वितरित सूची में समिस्ति प्रस्तुत पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षित

(1) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, गोपीकृष्ण नेमा, सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, प्रदेश के कई श्वेतों में साव का अधिक एवं अमानक रासायनिक साव मिलने की ओर कृपित मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री महेश बघेल, राजाराम तोडेम, अनन्द प्रकाश बाजपेयी, सदस्य, बस्तर जिले के कोडागांव एवं सुकम्मा बन परिषेत्र अन्तर्गत बनों की अवैध कटाई होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, सदस्य, डंडीर के मल्हारगांज धाना कर्मियों द्वारा दो युवकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के सिरोजा बुध संघ में विसीय अनियमितता की वजह से कर्मचारियों की वेतन न मिलने की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री विक्रम कर्मा, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, धार जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खाड़ी वितरण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री कंकर मुंजारे, विश्वेष भट्टेरे, डॉ. दाल सिंह बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के बकरामुण्डी बास डिपो में अग्निकाषण होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले की बैमोर सीमेंट फैक्ट्री के प्रबन्धन द्वारा श्रमिकों की छटनी किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, गोपीकृष्ण नेमा, श्रीमती सुधा जीन, सदस्य, बस्तर जिले के नारायणपुर में एक पत्रकार की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री गोपीकृष्ण नेमा, बुजमोहन अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सावरियापानी में छाँग बसूली हेतु दी गई यातना से एक युवक की मौत होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) डॉ. दाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में जिला पंचायत द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिये फर्नीचर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) डॉ. गोपीनंद सिंह, सदस्य, जबलपुर जिले के बारगी बन परिषेत्र से जड़ी बूटियों का अवैध बोहन होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

३. याचिकाओं की प्रस्तुति

(१) श्री वैश्लाशा कुमार, सदस्य, इन्हींर जिले के ग्राम पालिया एवं रेल्वे स्टेशन पालिया के बीच नदी पर बने पुल को ऊंचा किये जाने,

(२) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम पन्तोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(३) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) हरहाई जलाशय एवं नहर का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) पनिहाई एवं पितर तालाब से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(४) श्री रामलखन सिंह (त्योधर), सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम सोनीरी से कक्षरहा तक गिर्दीकृत सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम चौमा या कक्षरहा में हाईस्कूल खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम सोनीरी के अनुसूचित जाति मुहस्से में विद्युतीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

४. अशासकीय विधि विधयक कर्त्ता

श्री वैश्लाशा विजयवर्गीय, सदस्य, मध्यप्रदेश धूम्रपान निवेद एवं धूम्रपान न करने वालों का स्वास्थ्य प्रतिरक्षा विधेयक, 1997 (क्रमांक 24 सन् 1997) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

३८ मि.

५. अशासकीय संकल्प

(१) श्री अच्छन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि जबलपुर जिले में भूकम्प की स्थिति और जिला प्रशासन की वहाँ व्यास्तता के कारण तहसील सिहोरा, कट्टनी एवं विजयराघवगढ़ में प्रशासनिक अव्यवस्था एवं राजस्व क्षति को देखते हुए कट्टनी नगर को मुख्यालय मानकर तीनों तहसीलों को मिलाकर जिला घोषित किया जाये"।

४० मि.

(२) श्री सुरेन्द्र सिंह सिंहोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी पुराने निस्तारी तालाब एवं तलाशों का एक वर्ष की निरिचित अवधि में जीर्णोद्धार किया जाये"।

४१ मि.

(३) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

"सदन का यह मत है कि सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विख्वायालय को केन्द्रीय विख्वायालय घोषित करने हेतु राज्य शासन आवश्यक पहल करे"।

४५ मि.

(४) श्री सुनील जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत दोने बाले समस्त निर्माण कार्य विधायिकों एवं क्षेत्रीय सांसदों की अनुरासा पर ही स्वीकृत किये जावें"।

मोपाल :
दिनांक 24 जुलाई, 1997

के.पी.तिवारी
उपायकारी
विधायिका
मध्यप्रदेश विधान सभा